

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग—२

2. मण्डलायुक्त,
कुमायूं/गढ़वाल मण्डल,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक ०५ दिसम्बर, 2017

विषय:-विधायक निधि के मार्गदर्शी-सिद्धान्तों विषयक एकीकृत परिपत्र (Master Circular) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


अवगत कराना है कि ग्राम्य विकास विभाग अन्तर्गत विधान सभा के मा० सदस्यों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में “विधायक निधि योजना” प्रारम्भ की गई तथा शासनादेश दिनांक 07.06.2002 से विधायक निधि का गठन कर योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बनाये गये। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त में विभिन्न माध्यमों से मांग एवं औचित्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन भी होते रहे। वर्तमान में अन्य सम-सामयिक विषयों/कार्यों को समिलित कर विधायक निधि सम्बन्धी एक समग्र व्यावहारिक दिशा निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व के विधायक निधि सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को अवक्रमित करते हुए एतद्वारा एकीकृत परिपत्र (Master Circular) जारी किये जा रहे हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायक निधि सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संलग्न एकीकृत परिपत्र (Master Circular) के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।



(विधि. निधि.)

D.D.O
1/12
7/12

2006-12-17

संख्या: /XI/17/56(21)2007 TC-I, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, ए0 एण्ड ई0 ओबराय मोटर बिल्डिंग सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. समस्त निजी सचिव, मा0मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मा0 सदस्य, मा0 विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फार्फैल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या २०२३ / XI / 2017 / 56(21)2007 TC-I दिनांक ०५ .१२ 2017 का संलग्नक।

विधायक निधि योजना सम्बंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त

पृष्ठभूमि :-

विधान सभा के मा० सदस्यों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2002 में “विधायक निधि योजना” प्रारम्भ की गई तथा शासनादेश दिनांक 07.06.2002 से विधायक निधि का गठन कर योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बनाये गये, उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विभिन्न माध्यमों से मांग एवं औचित्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधन भी होते रहे। वर्तमान में विधायक निधि की एक समग्र व्यावहारिक दिशा निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व के विधायक निधि सम्बंधी दिशा-निर्देशों को अवक्षित करते हुए एकीकृत परिपत्र (Master Circular) के रूप में निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पुनर्गठित किया जाता है:-

2— योजना की मुख्य विशेषताएं

- 2.1 प्रत्येक विधान सभा के मा० सदस्य, अनुभव की जा रही स्थानीय आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यों का विवरण देंगे एवं मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए उसे कार्यान्वित करायेंगे।
- 2.2 जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, कार्यों का कार्यान्वयन विधान सभा के मा० सदस्यों के सुझाव के अनुसार नगर निगमों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा करवाया जा सकता है। कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसी सरकारी या पंचायतीराज संस्थायें होंगी, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के योग्य समझते हों। विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकदारों को लगाया जा सकता है, लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।
- 2.3 कार्यों के निष्पादन के लिए उन प्रभागों को लगाया जा सकता है, जो प्रभाग आवश्यक रूप से मात्र निर्माण कार्य ही नहीं देखते बल्कि जो निर्माण कार्यों के लिए सक्षम भी है। मुख्य विकास अधिकारी उस अभिकरण को अभिज्ञापित करेंगे, जिसके माध्यम से विधान सभा के मा० सदस्यों द्वारा संस्तुत कोई विशेष कार्य निष्पादित किया जाना है।

- 2.4 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे एवं इस हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिये नहीं किया जायेगा। इस निधि का उपयोग सेवा सम्बन्धी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था/प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हैं लेकिन इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख-रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 2.5 इस योजना से सम्बन्धित धनराशि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है; परन्तु ऐसा केवल उसी दशा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस प्रस्तर के अधीन जहां किसी परियोजना का आंशिक व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो, परियोजना का वह भाग सुस्पष्ट रूप से पहचान हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।
- 2.6 योजनान्तर्गत किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है। यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय, परन्तु कभी-कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उसके निष्पादन में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है, उन परिस्थितियों में इस योजनान्तर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए धनराशि अग्रिम रूप से अथवा एक से अधिक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है।
- 2.7 विधायक निधि से आवंटित की जाने वाली धनराशि में से 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु व्यय किये जाने तथा किसी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग यदि निवास नहीं करते हैं तो अनुसूचित जाति के अंश को अनुसूचित जनजाति तथा यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं तो अनुसूचित जनजाति के अंश को अनुसूचित जाति के लोगों के विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 2.8 इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिए कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस संस्था या व्यक्ति द्वारा भूमि अभ्यर्पित की है, उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अन्तर्गत हो, जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया हो उसे “अनापत्ति प्रमाण पत्र” के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा जायेगा, जब तक अभ्यर्पण कानूनी वैधता प्राप्त न कर लें। साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए ही उपलब्ध होगी, जिसके लिए निर्माण किया गया हो।

2.9 मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख-रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किया जाय।

2.10 विधान सभा के मा० सदस्य द्वारा चयनित कार्य एवं स्थान को मा० सदस्य की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

3. कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन

3.1 कार्यों को अभिज्ञापित करने उनका चयन करने तथा उन्हें स्वीकृति देने से पहले मुख्य विकास अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित मा०सदस्य की सहमति प्राप्त करें। यदि निर्माण कार्यों को करवाये जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हों तो सामान्यतः विधान सभा के मा०सदस्यों के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन मामलों में मुख्य विकास अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि मा० सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्य निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है। उनके सम्बन्ध में वे कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट, सम्बन्धित मा० सदस्यों को भेजेंगे तथा उनकी एक-एक प्रति शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को भी सूचनार्थ भेजेंगे।

3.2 जहां तक सम्भव हो सके वहां तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा० सदस्यों को उनका प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

3.3 जहां तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शासनादेशों के आधार पर जिला स्तर पर ही निर्णय लिया जाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने का अधिकार जिलों के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिए।

3.4 चूंकि इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और आवास निगम आदि प्रदेश सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जायेगा। अतः सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु समन्वय अनुश्रवण और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे, उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण, प्रबन्धन सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का सेंटेज चार्ज आदि नहीं लेंगे।

3.5 इस योजना के कियान्वयन हेतु प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग, जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को सामान्य निर्देश जारी करेंगे, कि वे मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें अग्रसारित किये गये निर्माण

कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें, ऐसे निर्देशों की प्रतियां माझ सदस्य विधान सभा को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

- 3.6 इस योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर सामान्य, वित्तीय और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं इस मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं वित्तीय नियमों आदि को ध्यान में रखते हुए लागू होगी।
- 3.7 इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुमन्य धनराशि का आवंटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माझे विधान सभा सदस्य परिवर्तित होते हैं और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहें कुछ भी हों, चूंकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता है, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरन्तर जारी रखी जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्व और वर्तमान माझे विधान सभा सदस्यों तथा सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे।
- 3.8 जब कभी माझे विधान सभा सदस्य किसी भी कारण परिवर्तित होंगे, कार्यों के क्रियान्वयन में यथा सम्भव निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाये जायेंगे:—
 - (क) यदि पूर्ववर्ती माझे विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणाधीन है, तो उसे पूरा किया जायेगा।
 - (ख) यदि पूर्ववर्ती माझे विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित कोई कार्य सूचना प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन से अधिक बीत जाने पर भी किसी औचित्यपूर्ण कारणों से लम्बित पड़ी हो तो उसका भी निष्पादन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि यथोचित मापदण्डों के अनुरूप हो एवं लम्बित रहने के कारणों को अभिलिखित करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के संज्ञान में लाया जायेगा।
 - (ग) यदि पूर्ववर्ती माझे विधान सभा सदस्य किसी कार्य को चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित कर चुके हो परन्तु इससे पहले के उप-प्रस्तरों में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसका निष्पादन शुरू नहीं किया गया हो तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती माझे विधान सभा सदस्य उनका अनुमोदन करें, परन्तु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति को वास्तव में कार्य को प्रारम्भ करना माना जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि कार्यारम्भ वास्तविक रूप से धरातल पर दिखना चाहिये। मुख्य विकास अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य की श्रेणी, प्रकृति एवं स्थान में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4- धनराशि की अवमुक्ति:—

- 4.1 माझे विधान सभा सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पच्चीस लाख रुपये की लागत वाले कार्यों के प्रस्ताव रखे जायेंगे।

4.2 विधायक निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात् विभागीय पद्धति (मस्टरौल) / कार्यादेश (work order) के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा ₹0 5.00 लाख (₹0 पांच लाख मात्र) रहेगी।

4.3 विधायक निधि से अन्तरित की जाने वाली धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी:—

| | |
|---------------------|------------|
| प्रथम त्रैमास में | 35 प्रतिशत |
| द्वितीय त्रैमास में | 15 प्रतिशत |
| तृतीय त्रैमास में | 35 प्रतिशत |
| चतुर्थ त्रैमास में | 15 प्रतिशत |

यह धनराशि जिलाधिकारी के पी०एल०ए० में रखी जायेगी और सम्पन्न कराये गये कार्य के वास्तविक व्यय के सापेक्ष उसी सीमा तक अथवा त्रैमास की सीमा जो भी कम हो, पी०एल०ए० से आहरित की जायेगी। पी०एल०ए० में रखी जाने वाली धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में होगा। विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर ही किया जायेगा।

4.4 यदि सम्बन्धित मा० सदस्य विधान सभा, विधायक निधि का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं तो वह ग्राम्य विकास विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि निधि के उपयोग के सम्बन्ध में अग्रेतर निर्णय लिया जा सके।

4.5 धनराशि को अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए अपेक्षित धनराशि का आंकलन करेगा एवं निर्माणाधीन कार्यों की लागत की धनराशि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एकमुश्त तथा शीघ्रतिशीघ्र अवमुक्त की जायेगी। कार्यों की प्रकृति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जायेगी और तब नये निर्माण कार्यों के लिए आवंटन पर विचार किया जायेगा।

4.6 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः विधायक निधि में ही प्रत्यावर्तित (वापस) की जायेगी।

4.7 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विधायक निधि में अवशेष धनराशि को अग्रेनीत किया जा सकेगा।

4.8 पिछली विधानसभाओं की विधायक निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि, किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तथा योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को कार्य के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा में राजकोष में जमा किया जाना होगा।

5—अनुश्रवण व्यवस्था:—

5.1 चूंकि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, अतः मुख्य विकास अधिकारी इन कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण स्वयं करेंगे तथा इसी प्रकार

इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है। इसी तरह उप-क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों द्वारा भी निर्माण कार्यों के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण/अनुश्रवण भी करना होगा। ऐसे दौरे और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हो, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे इसमें माननीय विधान सभा सदस्यों को भी शामिल करें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार उपर्युक्त निरीक्षण/अनुश्रवण की रिपोर्ट मा० सदस्य विधान सभा और ग्राम्य विकास विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यों के निरीक्षण हेतु सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अधिकारी/कर्मचारी के लिए पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षण/सत्यापन हेतु न्यूनतम संख्या निर्धारित हो। शासन स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी मुख्य विकास अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट के सत्यापन हेतु समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा।

- 5.2 ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्येक स्तर योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं अद्यतन स्थिति की सूचना सदैव रखेगा। प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास कार्यालय में निर्माण कार्यों की अद्यतन सूचना रहेगी, जिसे संकलित कर प्रतिमाह सॉफ्टकॉपी (ई-मेल) एवं हार्डकॉपी पर शासन एवं आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना कार्यदायी संस्था/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयुक्त/शासन को प्रतिमाह 07 तारीख से पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।
- 5.3 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। विधायक निधि के अन्तर्गत Geotagging हेतु सम्बन्धित विभाग के कार्मिकों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- 5.4 इस योजना से सम्बन्धित निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र तथा अन्य बिन्दु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।
- 5.5 मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति मा० विधान सभा सदस्यों को भी भेजी जायेंगी।
- 5.6 इस योजना के कार्यान्वयन में निरन्तर सुधार लाने के लिये ग्राम्य विकास विभाग समूहों में मुख्य विकास अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। जिसमें विधान सभा सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा।

- 5.7 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक सम्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।

6— सामान्य—

- 6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष मात्र विधान सभा सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है, मात्र विधानसभा सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवाया जायेगा।
- 6.2 कभी किसी भी कारणवश मात्र विधान सभा सदस्य परिवर्तित हैं और पूर्ववर्ती मात्र विधान सभा सदस्य द्वारा कोई भी कार्य चयनित/संस्तुत/अभिज्ञापित नहीं किया गया हो तो उन पूर्ववर्ती मात्र विधानसभा सदस्य के सम्बन्ध में आवंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मात्र विधान सभा सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित धनराशि से अतिरिक्त उपलब्ध नहीं होगी।
- 6.3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान मात्र विधान सभा सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका उल्लेख इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले शासन के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 6.4 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में विधायक निधि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित विद्यालय की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध में अधीन अधिकृत किया जाता है कि कार्य का आगणन तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 6.5 विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों के साथ—साथ, विधायक निधि में लिए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़ाते हुए, सांसद निधि के दिशा निर्देशों में दी गई सूची के अनुसार भी यथासम्भव नियमानुसार कार्य कराये जा सकेंगे।
- 6.6 सांसद निधि के अन्तर्गत अनुमन्य/गैर अनुमन्य कार्य एवं समय—समय पर उनके सम्बन्ध में संशोधन भी विधायक निधि के अन्तर्गत स्वतः आच्छादित/अनुमन्य होंगे।
- 6.7 स्थाई परिसम्पत्तियां जो विधायक निधि से निर्मित हैं, के रख रखाव के लिए मात्र विधायक गणों को एक वित्तीय वर्ष में अनुमन्य विधायक निधि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की धनराशि व्यय करने का प्राविधान किया जा सकता है, जिसे मात्र विधायक गणों के प्रस्ताव पर सम्पादित किया जायेगा, परन्तु Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

3

7 – प्रशासनिक व्यय—

7.1 विधायक निधि के सफल कियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक सम्प्रेक्षण हेतु नोडल विभाग, नोडल जनपद एवं कार्यान्वयन जनपद द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की धनराशि का 2% वार्षिक व्यय किया जायेगा।

8— अनुमन्य कार्य—

- 8.1 विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्थाओं के अन्य भवनों का निर्माण जो राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हो, ऐसे भवन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों, तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।
- 8.2 गांवों, कस्बों अथवा नगरों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हो, करायें जा सकेंगे।
- 8.3 योजनान्तर्गत गांवों, कस्बों तथा नगरों के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कें, पार्ट-सड़कें, सम्पर्क सड़कें/लिंक सड़कें, खड़ंजा मार्ग, कच्चे मार्गों का निर्माण तथा इनसे सम्बन्धित पुलियाओं/पुलों, नालियों के निर्माण/मरम्मत, सड़क का चौड़ीकरण/समतलीकरण/मरम्मत के कार्य करवाये जा सकते हैं, जिनकी स्थानीय लोगों द्वारा अनुभव की जा रही जरूरत पूरी करने के लिए सम्बन्धित मात्र सदस्य सहमत हों।
- 8.4 वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रम गृहों का निर्माण भी कराया जा सकता है।
- 8.5 मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल-कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल-कूद सम्बन्धी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण, व्यायाम केन्द्रों, खेल-कूद संघों, शारीरिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है।

(स्पष्टीकरण) विधायक विकास निधि के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सांस्कृतिक तथा खेल सामग्री हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को सांस्कृतिक/खेल सामग्री की स्वीकृति जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकती है कि उक्त सामग्री का क्रय वे उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुसार करेंगे तथा क्रय के उपरान्त सम्बन्धित महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

29

- 8.6 सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण, जिसमें नलकूपों की नालियां तथा नहरों पर पुलियों/पुल का निर्माण भी समिलित है, का कार्य कराया जा सकता है।
- 8.7 सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.8 सार्वजनिक शवदाह/शमशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढांचों, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, सेमेन्ट्री का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.9 सार्वजनिक शौचालयों और स्नानघरों का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.10 सार्वजनिक नाले और गटर का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.11 सार्वजनिक पैदल पथ, पगड़ंडियों और पैदल पुलों का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.12 शहरों, कस्बों तथा गांवों की गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से बिजली, पानी, पगड़ंडियों, शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उक्त श्रेणी के कारीगरों हेतु कार्यशाला शेडों का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.13 आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.14 सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस/पड़ाव/शेडों का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.15 राजकीय पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.16 सरकारी अस्पतालों की एक्स-रे मशीन, एम्बुलेन्स जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था विधायक निधि से की जा सकेगी।
- 8.17 सार्वजनिक उपयोग के भवन, बारात घर, चौपाल/रैनबस्सेरे का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.18 सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिये गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणाली/साधनों का निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8.19 सार्वजनिक उपयोग की इलैक्ट्रॉनिकी परियोजनायें जैसे सूचना फुटपाथ, उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटरीकरण, सिटीजन बैण्ड रेडियो, गंथ सूची/डाटा बेस परियोजना आदि विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होंगे।
- 8.20 माठ विधायक की संस्तुति पर शासकीय एवं अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए साज-सज्जा एवं फर्नीचर क्रय तथा कम्प्यूटर के साथ कम्प्यूटर का फर्नीचर क्रय किया जा सकेगा।
- 8.21 मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों में हैल्थ क्लब की सुविधा अनुमन्य करायी जा सकती है।
- 8.22 मान्यता प्राप्त संघों के शिक्षक भवन का निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

- 8.23 राजकीय पशु चिकित्सालयों के लिए पशु एम्बुलेन्स हेतु धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।
- 8.24 ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों को यदि युवा कल्याण विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थानों से गत पांच वर्षों में कोई धनराशि उपलब्ध न करायी गई हो तो उन्हें खेलकूद एवं सांस्कृतिक किया-कलापों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधायक निधि से निम्न प्रतिबंधों के अधीन उपलब्ध करायी जा सकेगी—
- क. प्रोत्साहन राशि एक महिला मंगल दल/युवक मंगल दल को पांच वर्ष की अवधि में मात्र एक बार ही अनुमन्य होगी तथा इस प्रयोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में विधायक निधि से कुल ₹0 40.00 लाख से अनधिक धनराशि ही अनुमन्य कराई जा सकेगी।
- ख. मान्यता प्राप्त ऐसे महिला मंगल दलों/युवक मंगल दलों जिनका ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक एवं विकास कार्यों में कम से कम 03 वर्ष से योगदान रहा हो, उन्हें उपकरण/फर्नीचर/दरी आदि क्रय करने के लिये विधायक निधि से अधिकतम ₹0 1.00 लाख तक की धनराशि दी जा सकेगी, जो इस हेतु अनुमन्य सीमा-अन्तर्गत रहेगी।
- ग. विधायक निधि से उपलब्ध करायी गयी धनराशि उसी कार्य में व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन के लिये वह उपलब्ध करायी गयी है।
- 8.25 विधायक निधि के तहत मा० विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निधि के तहत छोटे-बड़े सांस्कृतिक/कृषि/पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु अधिकतम ₹0 20.00 लाख की धनराशि दी जा सकेगी।
- 8.26 राज्य के किसी भी क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, ओलावृष्टि, हिमस्खलन बादल फटना, कीट-हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं के आने पर तथा राज्य सरकार द्वारा आपदा घोषित किए जाने पर किसी भी विधायक द्वारा उस क्षेत्र में राहत कार्यों के लिए विधायक निधि हेतु वार्षिक रूप से निर्धारित धनराशि में से 10 प्रतिशत वार्षिक की सीमा तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु संस्तुत किए जाने पर व्यय किए जाने की अनुमति विधायक निधि के अन्तर्गत दी जा सकती है।
- 8.27 ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या-478/VI/2006 दिनांक 25 अप्रैल, 2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से ₹0 25.00 लाख तक प्रतिवर्ष का व्यय किया जा सकता है।

- 8.28 किसी भी बड़ी नगर पालिका में प्रत्येक विधायक की प्रत्येक वर्ष की विधायक निधि की धनराशि में से अधिकतम ₹0 50.00 लाख की धनराशि से एक पार्क की स्थापना/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा सकता है।
- 8.29 आबादी क्षेत्र के भवनों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न विभव की विद्युत लाइनों को हटाये जाने में आने वाले कुल व्यय भार का 30 प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्र के मात्र विधायक के विधायक निधि से व्यय किया जा सकता है।
- 8.30 स्मारक या स्मारक भवन के अन्तर्गत मात्र शहीद स्मारकों का निर्माण कराया जा सकता है।
- 8.31 प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों हेतु बस क्रय की जा सकती है।
- 8.32 यदि कोई मात्र विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग हेतु आई०पी० कैमरा (सी०सी०टी०वी०) व वाई॒फाई सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, तो विधायक निधि से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि इनकी स्थापना के उपरान्त इन पर होने वाला आवर्तक व्यय भी विधायक निधि मद से ही वहन किया जायेगा।
- 8.33 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा अवस्थापना सुविधाओं हेतु सार्वजनिक कार्य यथा गलियां व मार्ग (सी०सी०/विटुमिन), नाले एवं नालियां, पुलियाएं एवं नाला पार करने हेतु कासिंग, रिटेनिंग बॉल/पुश्ता, नदियों के किनारों पर कटाव से बचाव हेतु वायरकेट तथा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है।
- 8.34 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत विधायक निधि द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (**Solid and liquid waste management**) हेतु किसी भी प्रकार के उपकरण एवं सुविधाएं विधायक निधि में अनुमन्य होगी।
- 8.35 नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्ग प्रकाश हेतु विद्युत पोल एल०ई०डी०/सी०एफ०एल०, फिक्सचर, सोडियम, अन्य उपकरण, वाहन/हाईड्रोलिक वाहन तथा हाई॒मास्क लाईट विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।
- 8.36 नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश सम्बंधी देय विद्युत बिलों का भुगतान हेतु यद्यपि उक्त निकाय उत्तरदायी है, परन्तु इन निकायों के बोर्ड द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान, विधायक निधि से किये जाने का प्रस्ताव पारित करने की दशा में ही बिलों का भुगतान विधायक निधि से अनुमन्य होगा।
- 8.37 गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिस्मृतियों के निर्माण के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य समस्त कार्यों को विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य

कार्यों में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा का विधायक निधि के साथ सामग्री अंश हेतु केन्द्राभिसरण किया जायेगा।

- 8.38 दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मा० विधायक अपनी वार्षिक विधायक निधि से अधिकतम रु० 10.00 लाख तक सिफारिश कर सकते हैं। इसका क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करवाया जायेगा।
- 8.39 राज्य एवं स्थानीय स्व-शासन निकाय से सम्बन्धित अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल, पेयजल एवं स्वच्छता के उद्देश्य से स्कूल बस/वैन, अर्थ मूवर आदि वाहनों की खरीद वित्तीय नियमों के अन्तर्गत की जा सकती है।
- 8.40 राज्य एवं स्थानीय स्व-शासन निकाय से सम्बन्धित स्कूलों, कॉलेजों एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों का क्रय किया जा सकता है।
- 8.41 मौजूदा सार्वजनिक खराब हैंडपंप के स्थान पर नये बोर पंप लगाये जा सकते हैं।
- 8.42 सार्वजनिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जा सकती है।
- 8.43 बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी प्रतीक्षा कुर्सियों/बैंचों (ओवरहैड शेड सहित) की स्थापना की जा सकती है।
- 8.44 मान्यता प्राप्त स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में छात्र/छात्राओं के हैन्डवॉश एंव पेयजल हेतु सामूहिक पेयजल सुविधा (common drinking water platform), नये शौचालयों का निर्माण, जल संयोजन, पुराने शौचालयों की मरम्मत, स्कूलों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में मरम्मत के कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण तथा इसे शौचालयों से जोड़ा जाना एवं व्यर्थ पड़े पानी को लिफ्ट कर निकासी का कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
- 8.45 राष्ट्रीय (ग्रामीण/शहरी) आजीविका मिशन (NRLM/NULM) के स्वयं सहायता समूहों हेतु वर्कशेड का निर्माण किया जा सकता है।
- 8.46 सरकारी अस्पताल हेतु रेफ्रीजरेटर, ऑफिस कम्प्यूटर, आर०ओ० प्लान्ट, गोदरेज स्टील फर्नीचर का क्रय किया जा सकता है।
- 8.47 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण एवं एकल पेयजल योजना का निर्माण किया जा सकता है।
- 8.48 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु कलेक्शन सेन्टर के लिए शेड का निर्माण, ग्राम पंचायतों में कूड़ादान, सैनेटरी नैपकिन्स एवं डायपर्स के निस्तारण के लिए इन्सेनेरेटर, कॉम्प्रेक्टर, कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली, मैकेनिकल एरोविक कम्पोस्टर सम्बन्धी कार्य अनुमन्य होंगे।


- 8.49 योजनान्तर्गत शासकीय शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल एवं सार्वजनिक स्थल पर CCTV कैमरे स्थापित किये जा सकते हैं।
- 8.50 सरकारी भवनों तथा राज्य एवं स्थानीय स्वायत्त शासन से सम्बन्धित विद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल निकायों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा—जल संचयन प्रणालियों (जल संग्रह एवं भूजल रिचार्जिंग दोनों के लिए) की स्थापना अनुमन्य होगी।

9— विविध—

- 9.1 रिट याचिका संख्या पी0आई0एल0 201 / 14 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के दृष्टिगत विद्यालयों में फर्नीचर हेतु एक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की धनराशि तथा स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिगत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा। यदि एक विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्यालय फर्नीचर से संतुप्त हो जाय तो उस धनराशि को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid and liquid waste management) हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में बनायी गयी नीति का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10— विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्य—

- 10.1 केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से सम्बन्धित कार्यालय भवन, आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।
- 10.2 वाणिज्यिक संगठनों, न्यायों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थानों अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य।
- 10.3 किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण / उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य।
- 10.4 स्मारक या स्मारक भवन (शहीद स्मारकों को छोड़कर)।
- 10.5 किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार (राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं स्थानीय निकायों हेतु बस क्रय को छोड़कर)।
- 10.6 भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि।
- 10.7 व्यक्तिगत लाभ की कोई भी योजना।
- 10.8 धार्मिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्य (प्रस्तर 8.27 को छोड़कर)।



(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव